प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

कृपया अपना पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो यहां चस्पा करें।

.....निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) .....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन–पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

भाग–क

मैं,.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष, जो..... (डाक का पूरा पता लिखें) का /की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1.) (मैं).....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी
** एक स्वतंन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2.) मेरा नाम..... (निर्वाचन–क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0..... के क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है।

(3.) मेरा/मेरे..... संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ है/हैं और..... मेरा ई मेल पता (यदि कोई हो) हैं तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है।/हैं।

(i).....

(ii).....

(iii).....

(4.) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थितिः

क्र.सं.	नाम	पीएएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आय–कर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पाँच वित्तीय वर्षो (31 मार्च को) के लिए आय–कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
2.	पति / पत्नी			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

3.	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब(यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
4.	आश्रित–1			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
5.	आश्रित–2			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)
6	आश्रित–3			(i)
				(ii)
				(iii)
				(iv)
				(v)

टिप्पणः–स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिये की "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नही हुआ है"।

5. **लम्बित आपराधिक मामले**

(i) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरूद्व कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है ।
(यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामल लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखे)–

या

(ii) मेरे विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं:
(यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दे और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामले का ब्यौरे दे)–

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या	
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दे, अर्थात भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा.....)	
(ध)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	
(ड.)	क्या आरोप विरचित किये गये है (**हां** या **नहीं** का उल्लेख करें)	

(च)	यदि उपर्युक्त मद (ड.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किये गये थे।	
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरूद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाइनल किया गया है (**हां** या **नहीं** का उल्लेख करें)	

(6) दोषसिद्धि के मामले–

(i) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता हैं लिखे)–

या

(ii) **मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:**

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दे, और नीचे दी गयी सारणी में ब्यौरे दे)–

सारणी

(क)	मामला संख्यांक			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओ की धाराएं (धारा की संख्या दे, अर्थात भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा.....)			
(ध)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिये दोषसिद्ध किया गया है			
(ड़)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्व कोई अपील फाईल की गयी है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपिल के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रस्थिति दें			

(6क) . मैने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरूद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलो की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हे यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में **प्रविष्टयों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू** नहीं होता है, लिखना चाहिए]

टिप्पणः 1–ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बडे अक्षरों में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।

2–प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभो के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं।

3–ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलो को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4–यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोडी जा सकती है।

5–अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाए देने का उत्तरदायी होगा।

(7.) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

क. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1: संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2: जमा/विनिधान की दिशा में क्रम संख्या, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3: सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधोपत्रो/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4: "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता–पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (है), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवन यापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5: प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे **पृथकतया** दिये जाने हैं।

टिप्पण 6: ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्थियों" पद से विदेशी बैंको और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियो या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत है:

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम						
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम						
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में						

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम						
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम						
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/याच/पोत/ जहाज (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)						
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)						
(xiii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य						
(ix)	सकल कुल मूल्य						

ख. **स्थावर आस्तियों के ब्यौरे**

टिप्पण 1. –संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2. – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 –ब्यौरे में अपटत आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए ।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित –3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(ii)	गैर–कृषि भूमिः अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						

	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)						
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या / संख्याएं						
	क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)						
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)						
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)						

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख						
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)						
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान						
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य						
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)						
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य						

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/देय राशि के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्र. सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति						
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकायों को ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकति।						
	कोई अन्य देयता						
	देयताओं का सकल योग						
(ii)	**सरकारी शोध्य** : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	(क) क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास के अधिभोग में है? (ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात :– (i) सरकारी आवास का पता :– .... (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में, निम्नलिखित के मध्ये कोई शोध्य संदेय नहीं है :– (क) भाटक, (ख) विद्युत प्रभार, (ग) जल प्रभार; और (घ) ..... (तारीख) को टेलीफोन प्रभार (तारीख उस						

		मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है,पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए) टिप्पणः– उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बावत सम्बन्धित अभिकरणों का "बेवाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अन्तर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)						
		स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(iv)	आयकर शोध्य						
(v)	जीएसटी शोध्य						
(vi)	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य						
(vii)	कोई अन्य शोध्य						
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग						
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, का उल्लेख करें।						

(9) **वृति या उपजीविका के ब्यौरे** :

क. स्वयं .....

ख. पति या पत्नी .....

(9क) **आय के स्रोतों के ब्यौरे :**

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों .....

(9ख) **समुचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं–**

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गयी संविदाओ के ब्यौरे.....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गयी संविदाओ के ब्यौरे .....

(ग) आश्रितों द्वारा की गयी संविदाओ के ब्यौरे .....

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरें .....

(ड) भागीदारी फर्मो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है.....

(च) प्राइवेट कंपनियो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है.....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) **भाग –क के (1) से (10) दिए गए ब्यौरों का सारांश**

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	
6	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिसमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	

7		स्थायी लेखा संख्या (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय–कर विवरणी फाइल की गई हैं।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी			
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) हिन्दू अभिभक्त कुटुम्ब			
	(घ) आश्रित			

8.	**आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्थियों सहित) के रूपयों में ब्यौरें**						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित–1	आश्रित –2	आश्रित–3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)						
ख.	स्थावर आस्तियां....						
I-	स्वार्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत						
II-	क्रय के पश्चात स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)						
III-	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत – (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)						
9.	**दायित्व**						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)						

(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
i.	सरकारी देय राशि (कुल)						
ii.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाणपत्र /डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय /महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे, मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण 1–शपथ–पत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन को अपराहन 3.00 बजे तक दाखिल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2–शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3–सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई भी स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नही है तो, यथास्थिति, "शून्य" या ''लागू नही होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4–शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5–शपथपत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांम्प होनी चाहिए।

विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 H-11019/04/2018,–विधि–II दिनांक 10–10–2018 और सं0 H-11019/13/2016 –विधायी 2 दिनांक 26.02.2019)